[2018] 13 एस.सी.आर. 1177 एम.सी. मेहता

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(रिट याचिका (1985 की सिविल) संख्या 4677) आरई: सीलिंग मुद्दा (निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 129 और 131) 22 नवंबर, 2018 [मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता, जेजे]

शहरीविकास: पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के निदेशक (पशु चिकित्सा सेवा) के निर्देश पर दुधारू कर निरीक्षक द्वारा अनधिकृत/अवैध डेयरी की सीलिंग - एक सांसद (एमपी) द्वारा तोड़ी गई सील -एफआईआर - परिसर को फिर से सील किया गया - निगरानी समिति (सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त)ने उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट संख्या 129 प्रस्तुत की - सांसद को नोटिस जारी किया - इस बीच निगरानी समिति ने रिपोर्ट संख्या 131 दायर की,जिसमें कहा गया है कि एक लेख एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक ने उल्लेख किया कि 3 अक्टूबर,2018 को सुनवाई के तुरंत बाद, सांसद ने आरोप लगाया कि निगरानी समिति भ्रष्टअधिकारियों के साथ मिलकर एक सीलिंग रैकेट चला रही थी - माना: विचाराधीन परिसर कोसील करने के मामले में निगरानी समिति की कोई भूमिका नहीं थी - हालांकि, सांसद ने सील तोड़कर कानून अपने हाथों में ले लिया - यह राजनीतिक दल के बेहतर निर्णय पर छोड़ दिया गया है, निगरानी समिति के खिलाफ सांसद द्वारा लगाए गए आरोप किसी भी कानून के शासन के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाते हैं - हालांकि, अदालत लापरवाह बयान के लिए सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है - इसलिए, सांसद के खिलाफ कार्यवाही और निगरानी समिति की रिपोर्ट बंद कर दी जाती है।निगरानी समिति की रिपोर्टों को बंद करते हुए, न्यायालय नेकहा: 1. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले परिसर को सील करने के मामले में निगरानी समिति की कोई भूमिका नहीं थी। परिसर की सीलिंग और डी-सीलिंग का निगरानी समिति से कोई लेना-देना नहीं था, जिससे इस मामले में परामर्श नहीं किया गया था और निगरानी समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। परिसर को सील करना। परिसर को सील करना ईडीएमसी के पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा किया गया एक स्वतंत्र कार्य था और इसका निगरानी समिति से कोई लेना-देना नहीं था। [पैरा 9 और 10] [1181-सी-ई]

.1 इसके बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद सदस्य ने कानून को अपने हाथों में लिया और सील को तोड़ दिया या इसके साथ छेड़छाड़ की। श्री मनोज तिवारी एक निर्वाचित सांसद हैं और उम्मीद है कि दिल्ली के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। भीड़ को शांत करने और भीड़ को कानून के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करने के बजाय, श्री मनोज तिवारी ने कानून को अपने हाथों में लेकर गैर-जिम्मेदाराना काम किया। इस तरह के व्यवहार का परिणाम किसी दिए गए स्थिति में विनाशकारी हो सकता है। यह उस राजनीतिक दल के बेहतर निर्णय पर छोड़ दिया गया है, जिससे वह संबंधित है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। [पैरा 11, 12 और 13] [1181-ई-जी; 1182-बी]

2. 23 अक्टूबर, 2018 को सुनवाई के तुरंत बाद सांसद और उनकी छाती थपथपाना और इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के खिलाफ गंभीर लेकिन तुच्छ आरोप लगाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह कितने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, और कानून के किसी भी शासन के प्रति उनके सम्मान की कमी को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि वह, एक अर्थ में, बिना किसी कारण के एक विद्रोही है। राजनीतिक दल के मीडिया विभाग द्वारा प्रचारित लापरवाह बयान के लिए अदालत उनके खिलाफ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखती है। स्पष्ट रूप से गलत राजनीतिक प्रचार के लिए प्रचार करने के लिए हमारी अदालतों में कोई जगह नहीं है; इस अस्वास्थ्यकर प्रथा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सांसद के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई है। रिपोर्ट संख्या 129 और 131 को भी बंद कर दिया गया है। [पैरा 15 और 16] [1182-डी-जी]

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2006) 3 एससीसी 399: [2006]2 एससीआर 264 - संदर्भित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677 रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता (एसी) ए. डी. एन. राव, (ए.सी.) सुश्री अनीता शेनॉय, (ए.सी.) एडवोकेट एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और ओआरएस। विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट, अजय कुमार सिंह, नीरज, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, रमेश तिवारी, विनय कुमार, अतुलेश कुमार, आर बाला, सचिन शर्मा, प्रणय रंजन, राज बहादुर यादव, डीएल चिदानंद, रितेश कुमार, सुश्री सुहासिनी सेन, जीएस मक्कड़, बीवी बलराम दास, एके कौल, राज बहादुर, श्रीमती अनिल कटियार, विजय पंजवानी, एस वसीम ए कादरी, जैद अली सुब्पोश, प्रवीण स्वरूप, गौरांग कंठ, सायन रे, सौमो पालित, सुश्री एशिता बरुआ, बीसी संतोष कुमार, अजय बंसल, सुश्री वीना बंसल, गौरव यादव, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री अनिल कटियार, डीएन गोबर्धुन, सुश्री गौरी गोबर्धुन, सुश्री पल्लवी चोपड़ा, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, उपस्थित पक्षों के वकील। याचिकाकर्ता-इन-पर्सन कोर्ट का निर्णय मदन बी. लोकुर, जे. 1 द्वारा दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा नियुक्त निगरानी समिति! रिपोर्ट संख्या 129 दिनांक 18 सितंबर, 2018 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि निगरानी समिति को सूचना मिली थी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा 16.9.2018 को दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र के शाहदरा गांव में एक संपत्ति पर लगाई गई सील को तोड़ दिया गया था/

2. निगरानी समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल है: "गोकलपुर गांव में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडीएमसी के निदेशक (वीएस) के निर्देश पर, एमटीआई को क्षेत्र की पूरी तरह से जांच करने और गोकलपुर में चल रही किसी भी अवैध डेयरी के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। एमटीआई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि श्री प्रेम सिंह पुत्र महावीर सिंह द्वारा दिल्ली -94 के पंचायतघर के पास गोकलपुर गांव में एच. नंबर 46, केएच 299 में एक अवैध डेयरी चलाई जा रही है। चूंकि क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए पुलिस कार्यक्रम पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, इसलिए एमटीआई और उनके कर्मचारियों द्वारा 14.09.2018 को उपरोक्त अवैध डेयरी को सील कर दिया गया था। आवश्यक तस्वीरों के साथ सीलिंग की रिपोर्ट निदेशक (वीएस), ईडीएमसी को भेजी गई थी और सीलिंग की कार्रवाई को सीनियर नंबर 123 पर सीलिंग रजिस्टर में दर्ज किया गया था।

कल 16.09.2018 (रविवार) को, डिजिटल मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि उपरोक्त मुहर श्री मनोज तिवारी, माननीय 'एमसी मेहता बनाम भारत संघ, (2006) 3 एससीसी 399 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 13 एससीआर द्वारा तोड़ी गई है। इसी तरह की खबरें प्रिंट मीडिया में भी छपी थीं और माननीय सांसद को परिसर की सील तोड़ने की कार्रवाई में दिखाया गया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट डीडी (वीएस) द्वारा सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसके अलावा उप निदेशक (पशु चिकित्सा सेवाएं), शाहदरा (उत्तर) जोन ने 17.09.2018 को दोपहर 2.30 बजे उपरोक्त परिसर को फिर से सील करने के लिए एक कार्यक्रम तय किया है और एसएचओ, गोकलपुरी से पर्याप्त पुलिस बल प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. निगरानी समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि 14 सितंबर, 2018 को ईडीएमसी के निदेशक (पशु चिकित्सा सेवा) के निर्देश पर दुधारू कर निरीक्षक द्वारा श्री प्रेम सिंह के स्वामित्व वाले गोकलपुर गांव में एच नंबर 46 पर सीएच 299 पर चलाई जा रही एक अवैध डेयरी को सील कर दिया गया था। डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आई खबरों के अनुसार 16 सितंबर, 2018 को निर्वाचित सांसद श्री मनोज तिवारी द्वारा सील को स्पष्ट रूप से तोड़ा गया या छेड़छाड़ की गई।

4. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब सील को तोड़ने/छेड़छाड़ करने की बात पशु चिकित्सा सेवा विभाग को पता चली, तो एक प्रथम सूचना दर्ज की गई और 17 सितंबर, 2018 को परिसर को फिर से सील कर दिया गया।

5. प्रतिवेदन पढ़ने पर हमें यह आभास हुआ कि सीलिंग इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के परामर्श से 16 फरवरी, 2006 के निर्णय और आदेश के अनुसार की गई थी। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री मनोज तिवारी ने इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप किया था जो अदालत की अवमानना के समान है। तदनुसार 19 सितंबर, 2018 को हमने श्री मनोज तिवारी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 25 सितंबर, 2018 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उत्तर दाखिल किया और प्रतिवेदन पर विचार किया गया। हमने आखिरकार 30 अक्टूबर, 2018 को मामले की सुनवाई की।

6. इस बीच, 8 अक्टूबर, 2018 को निगरानी समिति ने इस न्यायालय में रिपोर्ट संख्या 131 दायर की, जिसमें इसने 4 अक्टूबर, 2018 के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक से एक लेख संलग्न किया। लेख में उल्लेख किया गया है कि 3 अक्टूबर, 2018 को सुनवाई के तुरंत बाद श्री मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि निगरानी समिति भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सीलिंग रैकेट चला रही है। एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।[मदन बी लोकुर, जे।]

7. रिपोर्ट संख्या 131 में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के मीडिया विभाग द्वारा जारी एक दस्तावेज को भी रिकॉर्ड में रखा गया है, जिससे सांसद संबंधित हैं। यह दस्तावेज कथित तौर पर श्री मनोज तिवारी द्वारा दिए गए बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि निगरानी समिति भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सीलिंग का रैकेट चला रही है।

8. जब हमने अंततः 30 अक्टूबर, 2018 को सुनवाई के लिए मामले को लिया, तो श्री मनोज तिवारी अपने विद्वान वकील के साथ अदालत में उपस्थित थे और उनकी ओर से और साथ ही निगरानी समिति की ओर से विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।

9. हमारे समक्ष दी गई प्रस्तुतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले श्री प्रेम सिंह के परिसरों को सील करने के मामले में निगरानी समिति की कोई भूमिका नहीं थी। प्रस्तुतियों के दौरान, हमें सूचित किया गया कि श्री प्रेम सिंह ने एक गैर-लाइसेंस डेयरी चलाकर परिसर के दुरुपयोग के लिए जुर्माना और जुर्माना भरा था और परिसर को सील कर दिया था।

10. श्री प्रेम सिंह के परिसरों की सीलिंग और सीलिंग हटाने का निगरानी समिति से कोई लेना-देना नहीं था, जिससे इस मामले में परामर्श नहीं किया गया था और श्री प्रेम सिंह के परिसर को सील करने के लिए निगरानी समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। परिसर को सील करना ईडीएमसी के पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा किया गया एक स्वतंत्र कार्य था और इसका निगरानी समिति से कोई लेना-देना नहीं था।

11. इसके बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है (और यह स्वीकार्य स्थिति है) कि श्री मनोज तिवारी ने 16 सितंबर, 2018 को या उसके आसपास श्री प्रेम सिंह के परिसर में कानून को अपने हाथों में लिया और सील तोड़ दी या इसके साथ छेड़छाड़ की।

12. श्री मनोज तिवारी ने जिस तरह से कानून अपने हाथ में लिया और श्री प्रेम सिंह के परिसर की सील को तोड़ दिया या उसके साथ छेड़छाड़ की, उससे हम बहुत दुखी हैं। हमें दुख है क्योंकि श्री मनोज तिवारी एक निर्वाचित सांसद हैं और उम्मीद है कि दिल्ली के जिम्मेदार नागरिक हैं। क्या जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को इस तरह से कानून के शासन की अवहेलना करनी चाहिए?

13. हमने श्री मनोज तिवारी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील से कारण पूछा कि उन्होंने कानून को अपने हाथों में क्यों लिया था। निर्देश पर हमें दिया गया जवाब चौंकाने वाला था। हमें बताया गया कि श्री मनोज तिवारी एक राजनीतिक दल के लोकप्रिय नेता थे और उन्हें उस क्षेत्र में देखते ही लगभग 1500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एससीआर को तोड़ने के लिए उकसाया था, जो श्री प्रेम सिंह के परिसर में "अवैध रूप से" लगाई गई थी। भीड़ द्वारा उस पर डाले गए दबाव के परिणामस्वरूप, उसने सील को तोड़ दिया या उसके साथ छेड़छाड़ की। जिस बात ने हमें चौंका दिया, वह श्री मनोज तिवारी द्वारा दिया गया तर्क था, जिसने हमें स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि भीड़ को शांत करने और भीड़ को कानून के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता के बजाय, श्री मनोज तिवारी ने कानून को अपने हाथों में लेकर गैर-जिम्मेदाराना काम किया। इस तरह के व्यवहार का परिणाम किसी दिए गए स्थिति में विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भीड़ एक निर्वाचित सांसद को कहीं अधिक गंभीर अपराध करने के लिए उकसाती है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि भीड़ के निर्देशों पर कार्य करेगा और अपराध करेगा? दिन-प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और यह ध्यान देने वाली बात है कि एक

जिम्मेदार राजनीतिक दल का एक निर्वाचित सदस्य भीड़ के दबाव के आगे झुक सकता है, बजाय इसके कि भीड़ को कानून के शासन का पालन करने की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति में, निर्वाचित प्रतिनिधि एक नेता नहीं रह जाता है और एक अंधा अनुयायी बन जाता है। हमें इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सलाह दी जाती है तो श्री मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करना राजनीतिक दल के बेहतर निर्णय पर छोड़ता है।

14. 3 अक्टूबर, 2018 को सुनवाई के तुरंत बाद श्री मनोज तिवारी और उनकी छाती थपथपाने और इस न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के खिलाफ गंभीर लेकिन तुच्छ आरोप लगाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि श्री मनोज तिवारी कितने निचले स्तर तक गिर सकते हैं और किसी भी कानून के शासन के प्रति सम्मान की कमी को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लगता है कि वह, एक अर्थ में, बिना किसी कारण के एक विद्रोही है।

15. इस न्यायालय और निगरानी समिति के कंधे आलोचना को गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त हैं और इसलिए हम श्री मनोज तिवारी के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए लापरवाह बयान के लिए कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते हैं, जैसा कि राजनीतिक दल के मीडिया विभाग द्वारा प्रचारित किया गया है। हमारा मानना है कि स्पष्ट रूप से गलत राजनीतिक प्रचार के लिए हमारी अदालतों में कोई जगह नहीं है; इस अस्वास्थ्यकर प्रथा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हम केवल आशा करते हैं कि बेहतर समझ बनी रहे और संबंधित राजनीतिक दल द्वारा अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए।

16. श्री मनोज तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही बंद की जाती है। रिपोर्ट संख्या 129 और 131 को भी बंद कर दिया गया है। कल्पना के. त्रिपाठी की रिपोर्ट बंद हो गई और निर्देश जारी किए गए।

(आकाश गुप्ता)
अपर सिविल जज (जू०डि०) प्रथम,
बरेली